रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 15, 2014/ आषाढ़ 24, 1936
No. 180] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 15, 2014/ASHADHA 24, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2014

सं. यू-23013/13/14-एल डब्ल्यू.—ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली में विभिन्न नौकरियों/कार्यों में ठेका श्रम के उन्मूलन के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति का गठन करता है। समिति का संघटन निम्नवत होगा: —

1) श्री आलोक कुमार, कार्यकारी निदेशक, —सदस्य
सिविल इंजीनियरिंग (सामान्य) रेल मंत्रालय,
(रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली

2) श्री राज बिहारी शर्मा —सदस्य
भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस), 42, पटेल कालोनी,
सरदार पटेल मार्ग, 'सी' स्कीम, जयपुर-302001

3) श्री प्रभाकर सिंह, —सदस्य
मुख्य अभियंता (एनडीजैड-I) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

4) श्री आर वी सुबा राव —सदस्य
अखिल भारतीय उपाध्यक्ष, (बीएमएस), टीआरटी-141,
जवाहर नगर, हैदराबाद-500020

5) उप-मुख्य श्रमायुक्त (नई दिल्ली), —सदस्य संयोजक
श्री चीमा, जीवन दीप बिल्डिंग,
नई दिल्ली।

2. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नवत होंगे: —

"निम्नलिखित प्रतिष्ठानों की निम्नलिखित नौकरियों/कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यचालन का अध्ययन करना: —

(i) प्रधान नियोक्ता, मैसर्स भारतीय विमानन प्राधिकरण, टर्मिनल-2, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली के प्रतिष्ठान में वाहक पट्टी प्रणाली अर्थात् पर्यवेक्षकों, मैकेनिकों, इलैक्ट्रिशियनों और खलासियों का परिचालन और अनुरक्षण।

(ii) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली में भारतीय एयरलाइंस के प्रतिष्ठानों में स्वीपरों का अनुरक्षण।

(iii) कार्गो परिसर (निर्यात/आयात), आईजीआई हवाई अड्डा, टर्मिनल 2, भारतीय विमानन प्राधिकरण, नई दिल्ली के प्रतिष्ठानों में नागरिक अनुरक्षण (प्लम्बर, बढ़ई, राजमिस्त्री, सीवर कर्मी, सहायक और पर्यवेक्षक)।

(iv) भारतीय विमानन प्राधिकरण के प्रतिष्ठान में नागरिक अनुरक्षण अर्थात् वायरमैन, मैकेनिक, अग्नि शामक पम्प परिचालक और सहायक।

(v) कार्गो संचालन अर्थात् इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में भारतीय विमानन प्राधिकरण के प्रतिष्ठान में ए.सी. संयंत्र परिचालन तथा भारतीय एयरलाइंस, आईजीआई हवाई अड्डा, नई दिल्ली के प्रतिष्ठान में प्लम्बर, राजमिस्त्री, पैन्टर, बढ़ई, फोरमैन और सहायक।

तथा उपयुक्त सिफारिशें देना कि ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों के दृष्टिगत उक्त प्रतिष्ठानों में उपर्युक्त नौकरियों/कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को निषेध किया जाए या नहीं।"

4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। समिति इन पर नए सिरे से विचार करेगी क्योंकि ये अनुरोध बहुत पुराने हैं और छह माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

जी.के. कालरा, सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Central Advisory Contract Labour Board)

RESOLUTION

New Delhi, the 10th July, 2014

No. U-23013/13/2014-L.W.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitute a Committee to go into the question of abolition of contract labour in various jobs/works in the Indira Gandhi International Airport, New Delhi. The composition of the Committee will be as under: —

1) Shri Alok Kumar, Executive Director, Civil Engineering (General) —Member
 Ministry of Railways, (Railway Board), New Delhi.
2) Sh. Raj Bihari Sharma —Member
 Bhartiya Mazdoor Sangh, (BMS), 42, Patel Colony,
 Sardar Patel Marg, 'C' Scheme, Jaipur-302001
3) Sh. Prabhakar Singh —Member
 Chief Engineer (NDZ-I), Central Public Work Dept.,
 Nirman Bhawan, New Delhi
4) Sh. R.V. Subba Rao —Member
 All India Vice President, (BMS), TRT-141,
 Jawahar Nagar, Hyderabad-500020
5) Dy. CLC (New Delhi) —Member-Convener
 Shri Cheema, Jeevan Deep Building, New Delhi.

3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows: —

"To study the working of contract labour system in the following jobs/works of the following establishments: —

(i) Operation and maintenance of conveyer belt system i.e. Supervisors, Mechanics, electricians and Khalasies in the establishment of the Principal employer M/s. Airport Authority of India, at Terminal-2, Indira Gandhi International Airport, New Delhi.

(ii) Maintenance of Sweepers in the establishments of Indian Airlines at Indira Gandhi International Airport, New Delhi.

(iii) Civil maintenance (plumber, carpenter, mason, sewer man, helper & supervisor) in the establishments of Cargo complex (export/import), IGI Airport, Terminal II, Airport Authority of India, New Delhi.

(iv) Civil maintenance i.e. Wireman, Mechanic, Fire Fighting Pump Operator and helper in the establishment of Airport Authority of India.

(v) Cargo handling i.e. A.C plant operations in the establishment of Airport Authority of India at Indira Gandhi International Airport, New Delhi and Plumber, Mason, Painter, Carpenter, Forman and Helper in the establishment of Indian Airlines, IGI Airport, New Delhi.

and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the above jobs/works in the said establishments be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970".

4. The Headquarter of the Committee will be at New Delhi. The Committee shall look into afresh as these request are quite old and submit its report within six months.

G. K. KALRA, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.